दिल्ली की लैंड पूलिंग नीति 2018

दिल्ली के नियोजित विकास का हिस्सा बनें

प्रमुख विशेषताएं

- ✓ किसी भी आकार की भूमि वाले भू–स्वामी पूलिंग के लिए आ सकते हैं।
- ✓ सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। इस चरण में किसी भी भूमि का समर्पण नहीं किया जाना है।
- ✓ किसी सेक्टर की 70% समीपवर्ती भूमि में जमा हो जाने के बाद, दि.वि.प्रा., संघटक भूमि मालिकों को एक कंसोर्टियम बनाने के लिए सूचित करेगा।
- ✓ दि.वि.प्रा. ऐसे क्षेत्रों की योजना प्रक्रिया को तुरंत शुरू करेगा।

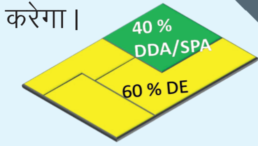

- ✓ जमा की गई भूमि का 60% विकासकर्ता संस्था (डी.ई.)/कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया जाएगा।
- ✓ भूमि का 40% दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा विकसित किया जाएगा जिस पर एकीकृत सड़क नेटवर्क, पार्क एवं खेल के मैदान, खेल परिसर एवं स्टेडियम, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदर्शनी केन्द्र, सुव्यवस्थित सीवरेज प्रणाली, जल–हरित आधारित संरचना जैसी सुविधाएं निर्मित की जाएंगी।
- ✓ स्मार्ट सिटी धारणा का एकीकरण, जिससे उच्चता प्रतिलाभ मिलेंगे।
- ✓ ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु विशेष प्रावधान।

वर्तमान स्थिति

- ✓ लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत पंजीकरण, लैंड पूलिंग वेब पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुका है।
- ✓ 1100 से अधिक भू–स्वामी पंजीकृत हो चुके हैं।
- ✓ 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पंजीकृत हो चुकी है।

संपर्क करें

नीति/विनियमों के बारे में अधिक जानकारी और लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण हेतु QR Code स्कैन करें या निम्नानुसार लिंक पर जाएँ:

https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx

तीन हेल्पडेस्क **एस.डी.एम. अलीपुर, एस.डी.एम. नजफगढ़ और एस.डी.एम.कंझावला** के कार्यालय में स्थापित किए जाएंगे, ताकि भूस्वामियों को वेब–पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने में सहायता मिल सके।

स्पष्टीकरणः– इसमें इस्तेमाल किए गए ग्राफिक्स केवल गैर–लाभकारी शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं और किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन की परिधि में शामिल नहीं किए जा सकते हैं, उसमें छूट दी जा सकती है। दी गई जानकारी केंद्र सरकार/दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित लैंड पूलिंग नीति/विनियमों पर आधारित है।

दिल्ली के भविष्य को नाम देने का मौका!

लैंड पॉलिसी, का.आ. 5220(अ) दिनांक 11.10.2018 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विकसित किए जाने वाले जोन **के–I, एल, एन, पी–II** एवं **जे** है। दि.वि.प्रा. प्रत्येक जोन को पहचान देने के लिए, नामकरण के सुझाव आमंत्रित करता है। जोन के नामकरण पर सुझाव देने वाला कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी भी माध्यम से जमा कर सकता हैं

- ✓ लिंक *https://forms.gle/CZN2P3e16pdcXvvF8*, पर जाएं, या
- ✓ लिखित में, उप निदेशक (योजना) लैंड पूलिंग सेल, दि.वि.प्रा. तीसरी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली –110002

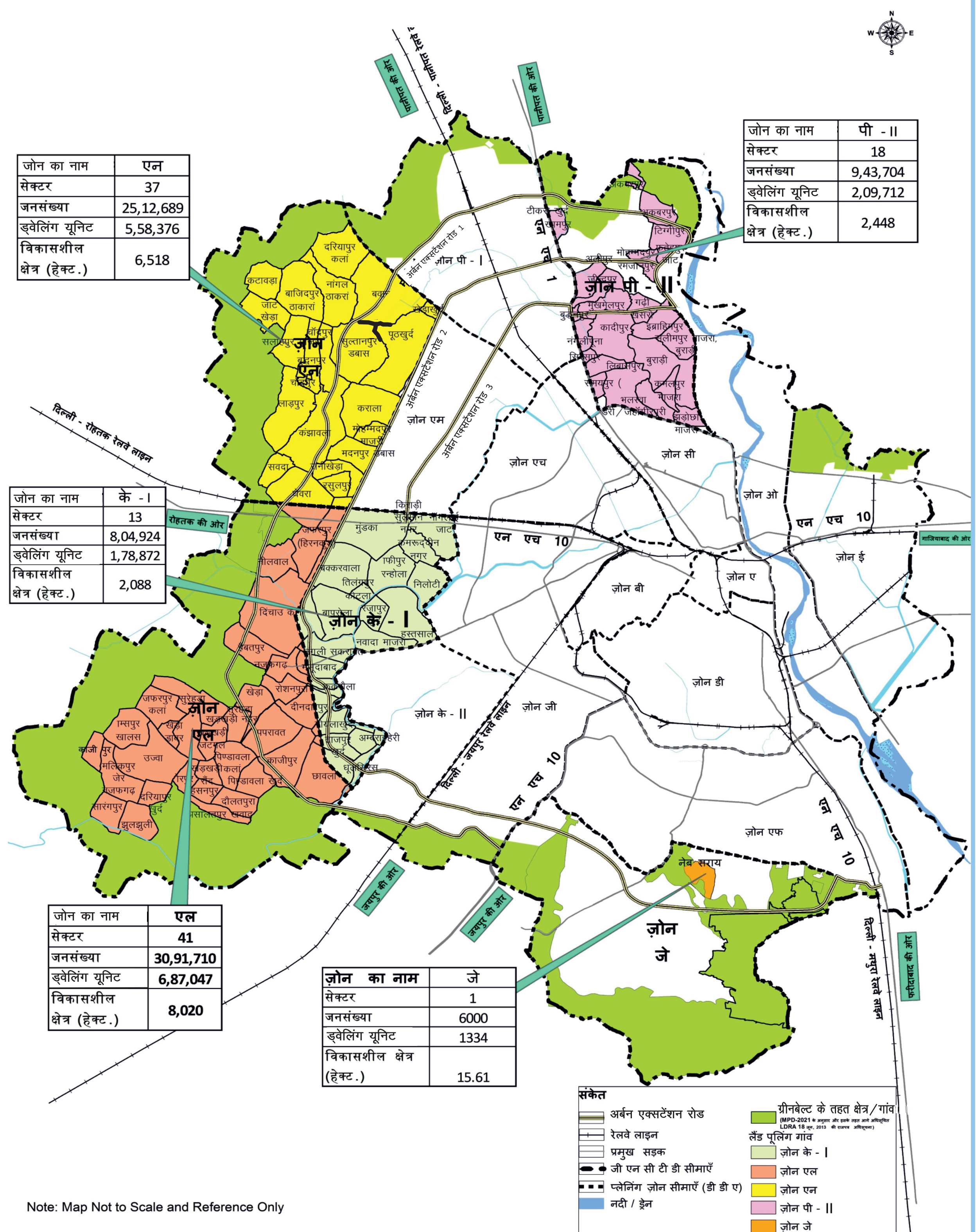

जोन का नाम	एन
सेक्टर	37
जनसंख्या	25,12,689
ड्वेलिंग यूनिट	5,58,376
विकासशील क्षेत्र (हेक्ट.)	6,518

जोन का नाम	पी - II
सेक्टर	18
जनसंख्या	9,43,704
ड्वेलिंग यूनिट	2,09,712
विकासशील क्षेत्र (हेक्ट.)	2,448

जोन का नाम	के - I
सेक्टर	13
जनसंख्या	8,04,924
ड्वेलिंग यूनिट	1,78,872
विकासशील क्षेत्र (हेक्ट.)	2,088

जोन का नाम	एल
सेक्टर	41
जनसंख्या	30,91,710
ड्वेलिंग यूनिट	6,87,047
विकासशील क्षेत्र (हेक्ट.)	8,020

ज़ोन का नाम	जे
सेक्टर	1
जनसंख्या	6000
ड्वेलिंग यूनिट	1334
विकासशील क्षेत्र (हेक्ट.)	15.61

Note: Map Not to Scale and Reference Only